हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.27/2024 दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रेवाशंकर व अन्य	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11.9.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (रेवाशंकर पुत्र शिवराम जी रावल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म दीपक जनरल स्टोर, सिवेरा रोड़, झाड़ोली, तहसील–पिण्ड्वाडा, जिला–सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (लखपत राज गांधी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म गांधी चुन्नीलाल लालचन्द एण्ड ब्रदर्स, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के सामने, मैन रोड़, सुमेरपुर, जिला–पाली) व प्रतिवादी संख्या–3 (रमेश कुमार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म नन्दलाल दयाराम, मैन मार्केट, सुमेरपुर, जिला– पाली) व प्रतिवादी संख्या–4 (Sanjay Kumar Tarsolia (Nominee), M/s Patanjli Foods Limited, Survey No.217/2, Vill-Mithirohar, Tal-Gandhidham, Dist. Bhuj (Kutch) Kandla, Gujrat-370201, Regd. Office- 616,Tulsiani Chambers, Nariman Point, Mumbai, Greater Mumbai, Maharashtra-400021) के अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन, प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.2.2023 को फर्म दीपक जनरल स्टोर, सिवेरा रोड़, झाडोली, तहसील–पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी रेवाशंकर पुत्र शिवराम जी रावल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Mahakosh) का नमूना संख्या S-2034 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./423/Act/2023/467 दिनांक 14.3.2023 में मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded Food) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार उपस्थित हुये व प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 06.9.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किये जाने का अनुरोध किया ......लगातार	

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:03:58 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.27/2024 दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रेवाशंकर व अन्य	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 24.2.2023 को समय 11.30 ए.एम. पर फर्म दीपक जनरल स्टोर, सिवेरा रोड़, झाड़ोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी रेवाशंकर रावल पुत्र शिवराम जी रावल उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Mahakosh) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Mahakosh) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रतिवादी विक्रेता रेवाशंकर को गवाह श्री श्रवण सिंह, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं दीपक जनरल स्टोर की दुकान में आम जन के बिक्री हेतु मौजूद Refined Soyabean Oil (Mahakosh) की 100 पैक्ड बोतलों (प्रत्येक 500 मि.ली.) में से Refined Soyabean Oil (Mahakosh) की 4 पैक्ड बोतलें (प्रत्येक 500 मि.ली.) क्रय की गई व उसकी कीमत राशि रुपये 336/– (अक्षरे रुपये तीन सौ छत्तीस मात्र) प्रतिवादी रेवाशंकर को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने, लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड एवं क्रमांक, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Mahakosh) का नाम आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता रेवाशंकर एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Refined Soyabean Oil (Mahakosh) की चारों पैक्ड बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं Refined Soyabean Oil (Mahakosh) की चारों पैक्ड बोतलों को अलग–अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लीप S-2034 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी रेवाशंकर एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं के ....लगातार	

प्राध. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:03:58 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.27/2024 दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रेवाशंकर व अन्य	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

कब्जे में लेकर मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता रेवाशंकर एवं उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर–6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लंगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 03.3.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 25.2.2023 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म दीपक जनरल स्टोर, सिवेरा रोड़, झाडोली में प्रतिवादी विक्रेता रेवाशंकर से खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Mahakosh) की 500–500 एम.एल. की पैक्ड बोतलों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Mahakosh) के नमूना संख्या S-2034 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./423/Act/2023/467 दिनांक 14.3.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Mahakosh) का नमूना संख्या S-2034 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अर्न्तगत मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded food) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी रेवाशंकर पुत्र शिवराम जी रावल की प्रोपराईरी फर्म दीपक जनरल स्टोर, सिवेरा रोड़, झाडोली द्वारा खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Mahakosh) की 500–500 एम.एल. के पैक्ड बोतलों को फर्म गांधी चुन्नीलाल लालचन्द एण्ड ब्रदर्स, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के सामने, मैन रोड़, सुमेरपुर से जरिये बिल क्रय किया था, जो प्रतिवादी लखपत राज गांधी की प्रोपराईटरी फर्म है। प्रतिवादी लखपत राज गांधी की प्रोपराईटरी फर्म गांधी चुन्नीलाल लालचन्द एण्ड ब्रदर्स द्वारा Refined Soyabean Oil (Mahakosh) की 500–500 एम.एल. के पैक्ड बोतलों को फर्म नन्दल... सुमेरपुर से जरिये बिल क्रय किया था, जो प्रतिवादी रमेश कुमार ... ईटरी फर्म है। प्रतिवादी रमेश

.....लगातार

न्यायालय प्रा० जिला बाविरवेध सिरोही (राज०)

प्रति. जिला बाविरवेध सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:03:58 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.27/2024 दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रेवाशंकर व अन्य	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

कुमार की प्रोपराईटरी फर्म नन्दलाल दयाराम, मैन मार्केट, सुमेरपुर द्वारा खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Mahakosh) की 500–500 एम.एल. की पैक्ड बोतलों को फर्म M/s Patanjli Foods Limited, Survey No.217/2, Vill-Mithirohar, Tal-Gandhidham, Dist. Bhuj (Kutch) Kandla, Gujrat-370201 से जरिये बिल क्रय किया गया था, जो खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Mahakosh) की निर्माता व पैकर फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माताओं के दायित्व दिये हुए है, जिसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded food) के विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता/पैकर दोषी है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादीगण, अर्न्तगत धारा धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 को स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत के मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded food) Refined Soyabean Oil (Mahakosh) के विक्रय हेतु प्रतिवादी रेवाशंकर पुत्र शिवराम जी रावल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म दीपक जनरल स्टोर, सिवेरा रोड़, झाड़ोली, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला–सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty), प्रतिवादी लखपत राज गांधी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म गांधी चुन्नीलाल लालचन्द एण्ड ब्रदर्स, आई. सी.आई.सी.आई. बैंक के सामने, मैन रोड़, सुमेरपुर, जिला–पाली पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) एवं प्रतिवादी रमेश कुमार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म नन्दलाल दयाराम, मैन मार्केट, सुमेरपुर, जिला– पाली पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) तथा मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded food) Refined Soyabean Oil (Mahakosh) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु M/s Patanjli Foods Limited, Survey No.217/2, Vill-Mithirohar, Tal-Gandhidham, Dist. Bhuj (Kutch) Kandla, Gujrat-370201, Regd. Office- 616,Tulsiani Chambers, Nariman Point, Mumbai, Greater Mumbai, Maharashtra-400021 पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 18.10.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:03:58 IST
Reason: SelfAttested